प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
जौनपुर।

पत्रांक/एन0ओ0सी0/ /2018–19 दिनांक 5/5/2018

विषयः–नेशनल बिल्डिंग कोड सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव उ0प्र0शासन शिक्षा–6 अनुभाग के पत्र दिनांक 20 जुलाई 2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न) जो सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0/प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग के विद्यालयो में अग्निशमन यंत्र स्थापित करने एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप भवन की अपयुक्तता के निर्देश दिये गये है।

शासनादेश के बिन्दु–6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विद्यालयो में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप विद्यालय भवन की उपयुक्तता के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं आर0ई0एस0 के न्यूनतम जिस अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा उनका विवरण निम्नवत् है–

शिक्षण संस्था का स्तर		ग्राउन्ड फ्लोर पर निर्मित विद्यालय	एक से अधिक मंजिल के विद्यालय
प्राइमरी	निरीक्षणकर्ता अभियन्ता	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता
माध्यमिक		अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता
उच्च शिक्षा		सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता

उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि **एम0यू0एस0 पब्लिक स्कूल लखौवा फतेहगंज जौनपुर** के भवन की उपयुक्तता के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी यथा भूतल हेतु अवर अभियन्ता द्वारा एवं एक से अधिक मंजिल हेतु सहायक अभियन्ता द्वारा चेक बिन्दुओ पर परीक्षण कराकर संदर्भगत प्रकरण में इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय कि **"उक्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड मानक 2005 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत उपयुक्त पाया गया है।"** के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यह आदेश जनहित याचिका संख्या 483/04 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.4.09 के अनुपालन में निर्गत है।

भवदीय

(अजय कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ0सं0/एन0ओ0सी0/215-18 /2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी के संज्ञानार्थ।
2. जिलाधिकारी जौनपुर।
3. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य एम0यू0एस0 पब्लिक स्कूल लखौवा फतेहगंज जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

10-5-18

(अजय कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

Scanned by TapScanner

NBC

कार्यालय सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग
जौनपुर

पत्रांक 58 / कैम्प AE I दिनांक 11.6.18

सेवा में,

प्रबन्धक,
मॉ उर्मिला शंकर पब्लिक स्कूल
लखौवॉ, जौनपुर।

विषय– मॉ उर्मिला शंकर पब्लिक स्कूल, लखौवा, जौनपुर के विद्यालय का भूकम्परोधी प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी का पत्रांक–एन0ओ0सी0 / 215–18 / 2018–19 दिनांक 05.04.2018

उपरोक्त विषयक इस खण्ड के सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता द्वारा मॉ उर्मिला शंकर पब्लिक स्कूल, लखौवॉ, जौनपुर का संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त विद्यालय भवन में क्रमशः भूतल पर 6 अद्द, प्रथम तल पर 6 अद्द एवं द्वितीय तल पर 6 अद्द बड़े कमरे का निर्माण किया गया है। उक्त भवन आर0सी0सी0 बीम तथा कालम से निर्मित है। प्लीन्थ एवं लिंटल पर आर0सी0सी0 बीम का प्राविधान किया गया है, स्लैब आर0सी0सी0 है, भवन प्रथम दृष्टया भूकम्परोधी है। इस सम्बन्ध में मो0 अकलाख उर्फ गुड्डू जौनपुर पंजीकृत ड्राफ्टमैन द्वारा भूकम्परोधी निर्माण कार्य कराये जाने का प्रमाण पत्र दिया गया है। उक्त आधार पर विद्यालय भवन को भूकम्परोधी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। भविष्य में आवश्यकतानुसार अनुरक्षण कार्य कराते रहें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0
जौनपुर

पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0–2, लो0नि0वि0, जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0
जौनपुर

Scanned by TapScanner